



मनोज कुमार, भा०प्र०से०

कार्यपालक निदेशक

चतुर्थ स्मार

सेवा में,

सिविल सर्जन

अररिया, समस्तीपुर, गया, मधुबनी, बक्सर एवं शेखपुरा।

पटना, दिनांक 07/09/2020

विषय: Ultrasound Machine with Colour Doppler की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु निबंधन प्रमाण-पत्र (Certificate of Registration Form- B) निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का पत्रांक 1607, दिनांक 10.06.2019, पत्रांक 3139 दिनांक 31.07.2019, पत्रांक 3289 दिनांक 06.08.2019, BMSICL का पत्रांक BMSIC/45025/87-2018/6359, दिनांक 26.03.2019 एवं BMSICL का पत्रांक BMSIC/45025/51-2014/7751, दिनांक 18.03.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा प्रथम रेफरल इकाई अस्पतालों (अनुमंडलीय एवं रेफरल अस्पताल) में Ultrasound Machine with Colour Doppler की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु PC & PNDT Act. 1994 के तहत निबंधन प्रमाण-पत्र (Certificate of Registration Form- B) निर्गत करने का निदेश दिया गया है।

2. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुख्यालय स्तर से कई स्मार पत्र दिये जाने के बावजूद आपके जिला के कतिपय स्वास्थ्य संस्थानों यथा- सदर अस्पताल अररिया, अनुमंडलीय अस्पताल रोसरा (समस्तीपुर), अनुमंडलीय अस्पताल टिकारी (गया), अनुमंडलीय अस्पताल फुलपरास (मधुबनी), अनुमंडलीय अस्पताल डुमराँव (बक्सर) एवं रेफरल अस्पताल बरबीघा (शेखपुरा) में Ultrasound Machine with Colour Doppler के अधिष्ठापन हेतु अभी तक निबंधन प्रमाण-पत्र (Certificate of Registration Form- B) निर्गत कर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं BMSICL को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके फलस्वरूप उक्त मशीन की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य लंबित है एवं जरूरतमंद मरीजों को अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा मुहैया नहीं हो पा रही है। यह स्थिति अत्यंत ही खेदजनक एवं चिंतनीय है। विदित है कि विषयांकित मामले में विधान सभा के माननीय सदस्य द्वारा तारांकित प्रश्न किये गये हैं। साथ ही, प्रधान महालेखाकार, बिहार के अंकेक्षण दल द्वारा भी अंकेक्षण आपत्ति अंकित की गयी है।

3. अतः दिनांक 10.09.2020 तक उक्त संस्थानों में अल्ट्रासाउण्ड मशीन के अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु PC & PNDT Act. 1994 की विहित प्रक्रियानुसार निबंधन प्रमाण-पत्र (Certificate of Registration Form- B) निर्गत किया जाए। उपर्युक्त संस्थानों में स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुपलब्धता/स्थानांतरण होने/पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में PC & PNDT Certificate निर्गत करने में वैधानिक कठिनाई हो तो विकल्प के रूप में जिलान्तर्गत अन्य FRU (जहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत हों) में अल्ट्रासाउण्ड की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु अनुशांसा के साथ प्रस्ताव उक्त निर्धारित तिथि तक अचूक रूप से उपलब्ध कराया जाये।





4. यह भी उल्लेखनीय है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इस दायित्वपूर्ण कार्य में असहमति व्यक्त किये जाने अथवा सिविल सर्जन के आदेशोलंघन पर उनके विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में नियमानुसार आरोप गठित करते हुये अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु संसूचित किया जाये।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार)



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार



-2-

4. यह भी उल्लेखनीय है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इस दायित्वपूर्ण कार्य में असहमति व्यक्त किये जाने अथवा सिविल सर्जन के आदेशोलंघन पर उनके विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में नियमानुसार आरोप गठित करते हुये अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु संसूचित किया जाये।

विश्वासभाजन

ह0/-

(मनोज कुमार)

ज्ञापांक.....4036.....

पटना, दिनांक.....07/09/2020.....

प्रतिलिपि:

- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
- जिला पदाधिकारी- अररिया, समस्तीपुर, गया, मधुबनी, बक्सर एवं शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि स्वयं के स्तर से पहल करते हुये उक्त कार्य को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण कराते हुये तत्संबंधी प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए।
- प्रशासी पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रोक्योरमेंट/उपसचिव-सह-प्रभारी, रेडियोलॉजी/पैथोलॉजी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं व्यक्तिगत स्तर से इसका अनुश्रवण करने हेतु प्रेषित।
- संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि सिविल सर्जन एवं संबंधित उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर संबंधित सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउण्ड के संचालन हेतु निबंधन प्रमाण-पत्र निर्गत कराने की दिशा में समुचित कार्य करें।

कार्यपालक निदेशक

